

**पूर्वोत्तर रेलवे
अधिसूचना**

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० ई (एन.जी.)।।/2007/आर.सी.-04/सी.ओ.आर. ई/1 दिनांक 16.10.2017, 12.12.2017 में निहित निर्देशों के आधार पर महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदनोपरान्त गोरखपुर मुख्यालय इकाई के विभिन्न विभागों की रिक्तियों को भरने के लिए अधिवर्षिता के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों से (दिनांक 30.06.2019 तक के सेवानिवृत्त कर्मचारी) मासिक पारिश्रमिक के आधार पर निम्नलिखित पदों पर री-इंगेजमेंट करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रम सं०	विभाग	संवर्ग	रिक्त पदों की संख्या
01	कार्मिक	स्टेनोग्राफर	32
	+		
	विधि	स्टेनोग्राफर	01
		योग	33

अतः उपरोक्त पद के विरुद्ध अधिवर्षिता के पश्चात् सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से री-इंगेजमेंट करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिनकी शर्तें निम्नवत् हैं:-

- (i) इस अधिसूचना के तहत आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि 09.07.2019 को आवेदक की उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- (ii) यह री-इंगेजमेंट पी.एच.ओ.डी. के द्वारा संतोषजनक वर्किंग रिपोर्ट/अनुमोदन के आधार पर किया जा सकेगा। यह री-इंगेजमेंट रेल कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा दिनांक 01.12.2019 की स्कीम अवधि अथवा आवश्यकता न होने पर अथवा आर.आर.सी./आर.आर.बी. से कर्मचारी उपलब्ध होने पर अथवा विभागीय नामिका प्राप्त होने पर जो पहले हो तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) री-इंगेजमेंट के समय अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त कर्मों को चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।
- (iv) री-इंगेजमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक व भत्ते रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई(एन.जी.)।।/2007/आर.सी./कोर/1 दिनांक 16.10.2017 एवं समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होंगे। इन्हें इसके अलावा अन्य कोई भी रेल सुविधा देय नहीं होगी।
- (v) री-इंगेजमेंट किये गये भूतपूर्व कर्मचारियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है।
- (vi) ऐसे आवेदक जिन्होंने अधिसूचना के पूर्व ही अपने आवेदन दिये हैं वे पुनः निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संलग्नकों के साथ आवेदन प्रेषित करें।
- (vii) महाप्रबन्धक/कार्मिक कार्यालय, गोरखपुर के परिवाद कक्ष में इसके लिए एक बाक्स भी रखा गया है, जिसमें आवेदन डाला जा सकता है तथा इच्छुक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड डाक से परिवाद कक्ष महाप्रबन्धक/कार्मिक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर पिन-273012 को भी आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 09.07.2019 सायं 18.00 बजे तक है।
- (viii) रिक्ति के अनुसार संबंधित कैडर में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त रेल सेवक ही आवेदन कर सकते हैं।
- (ix) इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों में भी अधिसूचना जारी की जा रही है।
- (x) यह स्कीम 01.12.2019 तक वैध होगी तत्संबंधी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई(एन.जी.)॥/२००७/आर.सी.-४/सी.ओ.आर.ई/१ दिनांक १२.

१२.२०१७ महाप्रबन्धक/कार्मिक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर

का अधिसूचना सं० का/२२७/१/री-इंगेजमेंट/भाग-VIII/२०१९ दि० २८-६-१९
१-७

१	नम	
२	पिता का नाम	
३	जन्म तिथि	
४	सेवानिवृत्ति के समय पद	
५	आवेदित पद	
६	कार्यालय जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं	
७	सेवानिवृत्ति की तिथि	
८	लेवल	
९	अंतिम मूल वेतन	
१०	पेंशन की रकम	
११	पत्राचार का पता	
१२	सम्पर्क नम्बर (मोबाइल)	
१३	संलग्न (हाँ/नहीं)	१. सेवा प्रमाण पत्र २. पेंशन भुगतान आदेश

मेरी जानकारी में उपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुर्ननियोजन के पश्चात् रेलवे बोर्ड/महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

नाम—

पत्राचार का पता:—

.....

.....

.....

(xi) आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

(xii) वे कर्मचारी इस अधिसूचना में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिये हैं या डी.ए.आर. के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त हैं।

अतः दिनांक 09.07.2019 तक, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो मुख्यालय इकाई/गोरखपुर में मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के इच्छुक हैं, अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा पर (सेवाप्रमाण पत्र एवं पी0पी0ओ0 के साथ) दिनांक 09.07.2019 तक महाप्रबन्धक/कार्मिक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को प्रेषित करें।

(वकाधि/मु0)

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

सं0 का/227/1/री-इंगेजमेंट/भाग-VIII/2019

दिनांक 28.06.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर महाप्रबन्धक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
2. मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-कृपया उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करने की व्यवस्था करें।
3. सचिव/महाप्रबन्धक/गोरखपुर।
4. सकाधि/मुख्या-11, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर- इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना का रेलवे के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
5. महामंत्री/नरमू, महामंत्री/अ0जा0 एवं अ0ज0जा0, ओ0वी0सी0 एशोसिएशन/गोरखपुर।
6. नोटिस बोर्ड हेतु।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

21/9/20
08/11/18
01.7.19